क्रम संख्या–25 पंजीकरण संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 06 फरवरी, 2018 ई०
माघ 17, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या 139 / 2018 / 18(120) / XXVII(8) / 2017 / CTR-3
देहरादून, 06 फरवरी, 2018

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव ,अब ,राज्यपाल ,उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम ,2017(2017 का 06) की धारा 9 की उप धारा (3) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन ,वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं .526/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तारीख 29 जून ,2017 में, निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ,अर्थात् :-, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5क	उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) के अंतर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति को किराए पर देकर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं ।	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति ।

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (ड.) के पश्चात निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

'(च) किसी "बीमा अभिकर्ता" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के उपवाक्य (10) में दिया गया है ।'

2. यह अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No.139/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-3,** dated Dehradun, February 06, 2018 for general information:

No. 139/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-3
Dated Dehradun, February 06, 2018

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the Notification No. 526/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 of the Government of Uttarakhand Finance section-8 namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5A	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017).	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any person registered under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017.";

(ii) in the Explanation, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -
'(f) "insurance agent" shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).'

2. This notification shall deemed to come into force from the 25th day of January, 2018.

By Order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 21 वित्त / 106–2018–100+100 (कम्प्यूटर / रीजियो)।